XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 3098–तीन/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्र0क0 अपील 1246–तीन/98 में पारित आदेश दिनांक 5–5–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक एवं अनावेदक क. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक — /2014 पुनरावलोकन रिव्यू 3093-III/14

1. स्वामीप्रसाद पुत्र लीलाधर यादव
2. बृजेन्द्रसिंह पुत्र लीलाधर यादव
   निवासीगण ग्राम– मेंदवारा, तहसील
   जतारा, जिला–टीकमगढ – आवेदगण

विरूद्ध

1. बलवन्तसिंह पुत्र सेवदीन यादव
   निवासी ग्राम– मेंदवारा, तहसील–
   जतारा जिला– टीकमगढ
2. मध्यप्रदेश शासन – अनावेदगगण

श्री S.K. Vajpai adv द्वारा आज दि. 15 Sep 2014 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
15-9-15

अपील प्रकरण कमांक 1246–तीन/2008 में पारित आदेश दिनांक 5–5–2014 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा– 51 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरावलोकन का आवेदन प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, ग्राम मेदवारा तहसील जतारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 109 एवं 110 का अभिलिखित भूमि स्वामी अनावेदक–1 था अनावेदक ने अपनी उक्त भूमि आवेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19–02–1992 को विक्रय कर आधीपत्य सौंप दिया था विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण दिनांक 29–02–1992 को हो गया था.

2. यह कि, वर्ष 1993, 94 में आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि को शासकीय भूमि अंकित किये जाने पर आवेदक ने इसका कारण एवं आधार जानने हेतु ग्राम पटवारी से संपर्क किया तब आवेदक को जानकारी हुयी की अनावेदक–1 ने अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 109 एवं 110 शासन को देकर शासकीय गोचर (चरनोई) भूमि ले ली है इस कारण सर्वे क्रमांक 109 एवं 110 को शासकीय अंकित किया गया है.

3.यह कि, आवेदक ने कलेक्टर जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रकरण तलाश कर प्रकरण का अवलोकन किया जिससे यह जानकारी हुयी की चरनोई भूमि को संहिता की धारा–234 एवं 237 के अंतर्गत कार्यवाहीं एवं आदेश के बिना चरनोई से पृथक कर चरनोई के साथ बंजर अंकित कराया गया एवं चरनोई भूमि को अनावेदक–1 ने कलेक्टर के आदेश से अपने नाम करा लिया है.

15/9/14

4.यह कि, आवेदकने कलेक्टर के आदेश की प्रतिलिपि लेकर अपर आयुक्त न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त महोदय ने अत्यन्त तकनीकी कारण दर्शाते हुये इस आधार पर निरस्त किया कि अनावेदक–1 ने पहले अपनी भूमि शासन को दे दी थी एवं शासन को भूमि देने के बाद यदि वहीं भूमि आवेदक को विक्रय की है तब आवेदक अनावेदक–1 के विरूद्व व्यवहारवाद तथा धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सकता है अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्वराजस्व मण्डल के समक्ष आवेदक ने अपील प्रस्तत की जिसे